

मध्यप्रदेश शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन

क्रमांक: एफ 7-21/2017/29-1
प्रति,

भोपाल, दिनांक 15 फरवरी, 2018

1. समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश।
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।

विषय-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत उचित मूल्य दुकान (ग्रामीण) स्तर पर सतर्कता समितियों का गठन एवं कार्यप्रणाली।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत उचित मूल्य दुकान (ग्रामीण) स्तर पर सतर्कता समितियों का गठन एवं कार्य संचालन के संबंध में सर्वसंबंधित विभागों की सहमति से इस परिपत्र क्रमांक-1 द्वारा निम्नांकित दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं :-

1. पृष्ठभूमि

- 1.1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का उद्देश्य जनसाधारण को गरिमामय जीवन व्यतीत करने के लिए सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तायुक्त खाद्यान्न की सुलभता सुनिश्चित करना है, ताकि खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा प्रदान की जा सके। अधिनियम के अंतर्गत राज्य, जिला, विकासखण्ड तथा उचित मूल्य दुकान स्तर पर सतर्कता समितियाँ गठित किये जाने का प्रावधान है, जिनके द्वारा खाद्य सुरक्षा के दृष्टिगत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्याह्न भोजन, पूरक पोषण आहार, मातृत्व लाभ एवं कुपोषण हटाने वाली योजनाओं की समग्र रूप से निगरानी कर योजनाओं के सुदृढीकरण किये जाने हेतु प्रयास को सामाजिक दायित्व के रूप में लिया गया है।
- 1.2. विकेन्द्रीकृत निगरानी के अधिकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, मध्यप्रदेश खाद्य सुरक्षा नियम, 2017 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा-3 के तहत भारत सरकार द्वारा बनाए गए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 में निहित हैं।
- 1.3. पारदर्शिता एवं समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अध्याय-11 - "पारदर्शिता एवं जवाबदेही" की धारा-29 (1) में अन्य स्तरों के साथ-साथ उचित मूल्य दुकान स्तर पर भी सतर्कता समितियों का प्रावधान करते हुए पदाधिकारियों के उत्तरदायित्वों का निर्धारण किया गया है। इसी अधिनियम की धारा-40 में दी गई शक्तियों के अंतर्निहित मध्यप्रदेश खाद्य सुरक्षा नियम, 2017 में सतर्कता समितियों का स्वरूप, गठन एवं कार्य के प्रावधान विस्तारित किये गये हैं।



- 1.4. उपरोक्त के अतिरिक्त केन्द्र शासन द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा-3 के अंतर्निहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 अधिसूचित किया है, जिसमें सतर्कता समितियों हेतु निम्न प्रावधान सम्मिलित हैं:-

क्र.	नियम क्रमांक	विवरण
1.	नियम 2(त)	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कामकाज का नियमित पर्यवेक्षण करने वाली समिति को सतर्कता समिति के रूप में परिभाषित किया गया है।
2.	नियम 7(4)	आवंटन की जानकारी सतर्कता समिति को दी जावेगी।
3.	नियम 8(5)	हितग्राहियों को वितरण का मासिक प्रमाण-पत्र राज्य शासन द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये जाना प्रावधानित है।
4.	नियम 11(4)	उचित मूल्य दुकान स्तर पर सतर्कता समितियां स्थापित की गई है।
5.	नियम 11(5)	सतर्कता समिति की बैठक एवं समय सारिणी को अधिसूचित करने एवं व्यापक प्रचार का उत्तरदायित्व राज्य शासन को दिया है।
6.	नियम 11(7)	सतर्कता समितियों की बैठकों की जानकारी राज्य वेब पोर्टल पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था तथा उसमें निहित मुद्दों पर निरन्तर कार्यवाही एवं समीक्षा का उत्तरदायित्व राज्य शासन को है।

- 1.5. समय-समय पर सतर्कता समितियों के संबंध में इस विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-7-32/2013/29-1 दिनांक 02/01/2016, क्रं. एफ-7-46/2005/29-1 दिनांक 03 नवम्बर, 2016 एवं आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के पत्र क्रं. 9636/खाद्य/2016 दिनांक 24 अक्टूबर 2016 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। सतर्कता समितियों के कार्यों को और अधिक व्यवस्थित करने एवं उन्हें सशक्त करने के उद्देश्यों से उपरोक्त निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए परिपत्र जारी किया जा रहा है।

2. सतर्कता समिति का स्वरूप

- 2.1. मध्यप्रदेश खाद्य सुरक्षा नियम, 2017 के अध्याय : 6 "पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सामाजिक अंकेक्षण" के नियम-23 में सतर्कता समितियों के गठन को अधिसूचित किया गया है। इन नियमों के अनुक्रम में उचित मूल्य दुकान (ग्रामीण) स्तरीय सतर्कता समिति का गठन निम्नानुसार किया जाये :-

पद	विवरण	टिप्पणी
अध्यक्ष	पंचायत का सरपंच जिसमें दुकान अवस्थित हो।	यदि एक से अधिक ग्राम पंचायत हो तो अन्य पंचायतों के सरपंच सह-अध्यक्ष होंगे।
सदस्य क्रं. (1)	बी.पी.एल. राशन कार्डधारी	अनुसूचित जाति
सदस्य क्रं. (2)	बी.पी.एल. राशन कार्डधारी	अनुसूचित जनजाति
सदस्य क्रं. (3)	बी.पी.एल. राशन कार्डधारी	निःशक्त श्रेणी
सदस्य क्रं. (4)	अन्योदय श्रेणी का राशन कार्डधारी	अनारक्षित

पद	विवरण	टिप्पणी
सदस्य कं. (5)	शेष प्राथमिकता श्रेणी में से अन्य परिवार का सदस्य	
सदस्य कं. (6)	शेष प्राथमिकता श्रेणी में से अन्य परिवार का सदस्य	
सदस्य कं. (7)	शेष प्राथमिकता श्रेणी में से अन्य परिवार का सदस्य	
सदस्य कं. (8)	शेष प्राथमिकता श्रेणी में से अन्य परिवार का सदस्य	
सदस्य कं. (9)	सरपंच द्वारा नामांकित प्रथम प्रतिनिधि	
सदस्य कं. (10)	सरपंच द्वारा नामांकित द्वितीय प्रतिनिधि	
सदस्य सचिव	ग्राम पंचायत का पंचायत सचिव	जिस ग्राम पंचायत में उचित मूल्य दुकान स्थित है।

2.2. चयन करते समय 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएं होगी तथा प्रत्येक ग्राम सभा का प्रतिनिधित्व समान होगा।

2.3. यद्यपि सतर्कता समिति के सदस्यों हेतु कोई अन्य अर्हताएं अधिसूचित नहीं की गई हैं तथापि अपेक्षा है कि ग्राम सभाएं सशक्त सतर्कता समिति का गठन करने हेतु निम्न बिंदुओं को केन्द्र में रखें :-

- सदस्यों में निम्न योग्यताओं पर विचार करें
 - ✓ शिक्षा स्तर (यथासंभव 10 वी तक उत्तीर्ण),
 - ✓ गैर आपराधिक पृष्ठभूमि का हो,
 - ✓ व्यक्तित्व सुलझा हुआ हो,
 - ✓ आयु यथासंभव 65 वर्ष से कम हो।
- सदस्यों का चयन करते समय निम्न प्रतिनिधित्व पर विचार हो,
 - ✓ पालक शिक्षक संघ के सदस्य का प्रतिनिधित्व हो,
 - ✓ आंगनबाड़ी में जिस परिवार के बच्चे जाते हो उनका प्रतिनिधित्व हो,
 - ✓ वृद्ध नागरिक सदस्य हो,
 - ✓ महिला स्व-सहायता समूह के सदस्य हो।
- यथासंभव सदस्य इस प्रकार चयनित किये जावें कि एक ही श्रेणी के एक से अधिक सदस्य समिति में न हो।

3.1. सतर्कता समिति 5 वर्ष के लिये गठित की जायेगी किन्तु निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल उनकी निर्वाचन अवधि तक ही होगा।

3.2. यदि कोई भी सदस्य उस श्रेणी से अपात्र हो जाता है अथवा वह अन्य कहीं चला जाता है अथवा मृत्यु हो जाती है तो सतर्कता समिति के आदेश को निरस्त करते हुये उनके स्थान पर नवीन सदस्य को नामांकित कराया जाकर संशोधित आदेश जारी किये जायेंगे, किन्तु ऐसे सदस्य समिति का कार्यकाल पूर्व में जारी किये गये मूल आदेश के अनुरूप समयावधि का ही रहेगा।



4. सतर्कता समिति के गठन की प्रक्रिया

- 4.1. उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति में 04 सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निःशक्तजन, बीपीएल तथा अन्त्योदय श्रेणी के राशनकार्डधारी होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य 04 सदस्य प्राथमिकता परिवार श्रेणी से चयन किये जावेंगे।
- 4.2. ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान से सम्बद्ध सभी ग्रामों को समान प्रतिनिधित्व दिया जायेगा, अर्थात् यदि पंचायत क्षेत्र में 04 ग्राम हैं तो संबंधित प्रत्येक ग्राम की ग्रामसभा से 2-2 सदस्य लिये जाकर 08 सदस्यों को सम्मिलित किया जावेगा। यदि अविभाज्य संख्या बचती है, तो वह सुविधा पहले सर्वाधिक आबादी वाले ग्राम को तथा उसके उपरान्त दूसरे कम आबादी वाले ग्राम को घटते क्रम में दी जाये।
- 4.3. ग्राम पंचायत सचिव द्वारा समिति के सदस्यों के नाम प्राप्त करने के लिए ग्रामसभा में प्राप्त की जावेगी। इस हेतु निम्न कार्यवाही की जावेगी :-
 - i. सदस्यों के चयन हेतु ग्रामसभा में प्रस्ताव रखा जाकर सदस्यों (क्र 1 से क्र 8) के नाम का अनुमोदन लेना।
 - ii. समिति के सदस्यों (क्र 9 से क्र 10) के 02 प्रतिनिधियों का नामांकन परिशिष्ट-‘1’ में प्रदर्शित प्रारूप में सरपंच से प्राप्त करना।
 - iii. चयनित एवं नामांकित सदस्यों का सूचना प्रस्ताव ग्राम पंचायत के समक्ष रखना।
 - iv. समस्त दस्तावेज (यथा - ग्रामसभा अनुमोदन, सदस्यों की जानकारी, सरपंच द्वारा नामांकित प्रतिनिधियों का पत्र, तथा ग्राम पंचायत का संकल्प जिसके माध्यम से ग्रामसभा तथा सरपंच के द्वारा नामांकित सदस्यों के नामांकन को सूचित किया गया है) को सदस्य सचिव संबंधित सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को सौंपना।
- 4.4. सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा समिति सदस्यों के नाम प्राप्त होने पर निम्न कार्यवाही की जावेगी :-
 - i. तीन दिवस में परीक्षण किया जाएगा की नाम नियमों के अनुरूप है तथा ग्राम सभा का संकल्प एवं अन्य दस्तावेज प्राप्त हैं,
 - ii. त्रुटि होने पर इन्हें ग्राम पंचायत सचिव को 7 दिवस में सुधारने की अनुशंसा के साथ लौटाना,
 - iii. सही होने पर 7 दिवस में परीक्षण टीप के साथ उचित मूल्य दुकान आवंटन अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)) को अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करना,
 - iv. उचित मूल्य दुकान आवंटन अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)) से परिशिष्ट-‘2’ अनुसार आदेश जारी कराकर समिति सदस्यों के नाम आदि वेबसाइट पर इन्द्राज करना,
 - v. गठन के आदेश की प्रति सभी सदस्य सचिवों को प्रदान कर, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष व सचिव, सभी समिति सदस्यों एवं उचित मूल्य दुकान विक्रेता के मोबाईल पर SMS से भी समिति गठन की सूचना देना।



- vi. समस्त उचित मूल्य की दुकान पर परिशिष्ट-‘3’ में निर्धारित प्रारूप में जानकारी लिखवाया जाना।
- 4.5. सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी से उचित मूल्य दुकान के गठन के आदेश की सूचना प्राप्त होने पर सदस्य सचिव (ग्राम पंचायत सचिव) के द्वारा निम्न कार्यवाही की जावेगी :-
- गठन के आदेश की सूचना से समिति के अन्य सदस्यों को ग्राम पंचायत की बैठक में अवगत कराया जावेगा,
 - ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर परिशिष्ट-‘3’ अनुसार जानकारी निर्धारित प्रारूप में लिखी जावेगी,
 - संबंधित क्षेत्र की शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को समिति गठन के संबंध में लिखित सूचना दी जावेगी।
 - बैठक आयोजन के स्थान, तिथि व समय एवं एजेन्डा बिन्दु की सूचना संबंधी जानकारी सूचना पत्र एवं SMS के माध्यम से दी जावेगी। इस संबंध में सॉफ्टवेयर में बैठक संबंधी जानकारी इंद्राज की जावेगी।

5. सतर्कता समिति के कार्य, बैठक एवं कार्य व्यवस्थायें :-

- 5.1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 29(2) में सतर्कता समितियों के कार्य निम्नानुसार निर्धारित किये गए हैं :-
- अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित खाद्य सुरक्षा की योजनाओं का नियमित पर्यवेक्षण,
 - अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की सूचना लिखित में जिला शिकायत निवारण अधिकारी को देना तथा,
 - योजनाओं में किन्हीं भी अनियमितताओं या गबन की जानकारी प्राप्त होने पर लिखित में जिला शिकायत निवारण अधिकारी को सूचित करना।
- 5.2. अधिनियम के अंतर्गत आने वाली योजनाएं जिनके क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करने हेतु सतर्कता समिति अधिकृत है वे निम्नानुसार हैं :-

✓ लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र परिवारों को रियायती कीमतों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार।	धारा-3
✓ गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से दिये जाने वाले निःशुल्क भोजन से पोषण समर्थन।	धारा-4
✓ मातृत्व लाभ सहायता (ऐसी समस्त योजनायें जो सुरक्षित मातृत्व में सहायक हैं)	धारा-4
✓ स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से बच्चों को पोषाहार का समर्थन ● छह महीने की आयु से कम के बच्चों के लिए स्तनपान का बढ़ावा, ● छह माह से छह वर्ष तक की आयु के बच्चों एवं किशोरी बालिकाओं को उपयुक्त भोजन।	धारा-5

①

✓ शालाओं के माध्यम से बच्चों (6-14 वर्ष) को पोषाहार का समर्थन, एक बार का दोपहर का भोजन (मिड-डे मील)	धारा-5
✓ आंगनबाड़ी एवं शालाओं हेतु निर्धारित रसोई में भोजन पकाने, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता की सुविधा।	धारा-5
✓ बाल कुपोषण की रोकथाम और प्रबन्धन हेतु चिन्हित कुपोषित बच्चों को अतिरिक्त भोजन की योजना।	धारा-6
✓ भोजन का अधिकार न मिलने पर खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्ति।	धारा-8
✓ लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अन्त्योदय अन्न योजना एवं प्राथमिकता परिवारों का सही चिन्हांकन।	धारा-10
✓ सार्वजनिक क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा से जुड़ी हुई सूचनाओं की ग्राम स्तर पर उपलब्धता।	धारा-11
✓ राशनकार्ड में मुखिया के रूप में महिलाओं के नाम के इन्द्राज की व्यवस्था।	धारा-13

5.3. उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समितियों की बैठक करने की प्रक्रिया :-

- समिति की बैठक प्रतिमाह आयोजित की जायेगी।
 - बैठक आयोजन के स्थान, तिथि व समय एवं एजेन्डा बिन्दु की सूचना सदस्य सचिव द्वारा सूचना-पत्र एवं SMS के माध्यम से सदस्यों को दी जावेगी।
 - यथासंभव यह बैठक द्वितीय मंगलवार को आयोजित करने का प्रयास किया जावेगा, जिससे बैठकों का नियमित संचालन किया जा सके एवं सदस्यों द्वारा आसानी से आंगनबाड़ी में वितरित किये जाने वाले टेकहोम राशन का भी उसी दिन पर्यवेक्षण हो सके।
 - बैठक के कोरम हेतु कम से कम एक तिहाई सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य है।
 - बैठक का कार्यवाही विवरण सदस्य सचिव द्वारा परिशिष्ट-‘4’ अनुसार पंजी में दर्ज की जावेगी एवं पंजी में दर्ज की जाकर कनिष्ठ/सहायक आपूर्ति अधिकारी को उपलब्ध करवाई जावेगी। उक्त जानकारी को कनिष्ठ/सहायक आपूर्ति अधिकारी द्वारा सॉफ्टवेयर पर भी दर्ज किया जावेगा।
- 5.4. उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समितियों की बैठक तथा पर्यवेक्षण में पाये गये बिन्दुओं पर कार्यवाही कर प्रत्येक आगामी बैठक में पालन प्रतिवेदन सदस्य सचिव (ग्राम पंचायत सचिव) द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा।
- 5.5. यदि समिति उचित समझती है तो पूर्व सूचना पर बैठक में संबंधित ग्राम स्तरीय कर्मचारी- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/उचित मूल्य दुकान विक्रेता/स्व-सहायता समूह अध्यक्ष अथवा सचिव/शाला प्रमुख को कार्यवाही हेतु अनुरोध करने के लिए आमंत्रित कर सकेंगे।
- 5.6. बैठक में चर्चा किये जाने हेतु सुझावात्मक बिन्दु (एजेन्डा) परिशिष्ट-‘5’ में दिये गये हैं।
- 5.7. सतर्कता समिति अपने कार्य को कुशलता पूर्वक कर सकें इस हेतु समिति सदस्यों को निम्न जानकारी उपलब्धता कराई जायेगी :-



- i. राज्य शासन द्वारा जैसे ही उचित मूल्य दुकान हेतु आवंटन आदेश जारी किया जायेगा वह SMS के माध्यम से स्वमेव दी जाएगी।
 - ii. मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा परिवहन हेतु वाहन रवाना करते ही वाहन क्रमांक एवं खाद्यान्न की मात्रा संबंधी जानकारी SMS के द्वारा समिति सदस्यों को सूचित की जावेगी।
 - iii. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा टेकहोम राशन तथा पोषण आहार हेतु दिये जाने वाले आवंटन की जानकारी समिति अध्यक्ष एवं समिति सदस्य सचिव को दी जायेगी। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप प्रतिमाह उपयोग किये गये पोषण आहार की जानकारी भी समिति को दी जावेगी।
 - iv. ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा मध्याह्न भोजन हेतु दिये गये खाद्यान्न आवंटन एवं राशि की जानकारी समिति सदस्यों को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्धारित व्यवस्था अनुसार उपलब्ध कराई जावेगी।
- 5.8. सतर्कता समिति कंडिका 5.2 के वैधानिक क्षेत्रों में निगरानी कर सकेगे :-
- i. तीन सदस्यीय टीम के रूप में किसी योजना का निरीक्षण कर सकेगे,
 - ii. निरीक्षण तिथि एवं पाये गये बिन्दुओं की जानकारी सदस्य सचिव को लिखित में अवगत करावेंगे,
 - iii. निरीक्षण का सामान्य पत्रक परिशिष्ट-‘6’ में दिया गया है,
 - iv. सदस्य सचिव के द्वारा निरीक्षण के बिन्दु सॉफ्टवेयर में इन्द्राज किया जावेगा,
 - v. जानकारी इन्द्राज नहीं किये जाने की दशा में संबंधित सदस्यों द्वारा इसकी शिकायत SMS के द्वारा जिला शिकायत निवारण अधिकारी को भेजी जा सकेगी।
- 5.9. समिति सदस्यों के समक्ष यदि ऐसे तथ्य प्रकाश में आते हैं, जिससे अधिनियम के प्रवधानों का कोई उल्लंघन हुआ है अथवा अनियमितता या गबन पाया जाता है तो सदस्यों द्वारा इसकी शिकायत लिखित रूप से सीधे जिला शिकायत निवारण अधिकारी को की जा सकेगी।

6. सतर्कता समिति के पर्यवेक्षण एवं शिकायतों का निवारण

- 6.1. सतर्कता समिति द्वारा किये गये पर्यवेक्षण उपरांत समस्त जानकारी सदस्य सचिव द्वारा सॉफ्टवेयर में इन्द्राज की जावेगी, जिसे समिति के सदस्यों द्वारा विभागीय वेबसाइट पर देखा जा सकेगा।
- 6.2. उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समितियों की बैठक तथा कार्यव्यवस्था में पाये गये बिन्दुओं पर कार्यवाही करने एवं क्रियान्वयन में आयी समस्याओं को अवगत कराने का प्राथमिक उत्तरदायित्व सदस्य सचिव (ग्राम पंचायत सचिव) का है, उनके द्वारा पालन हेतु निम्न कार्यवाही की जावेगी :-
- i. निम्न क्षेत्र में आने वाली समस्याओं को सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को सूचित करते हुए संबंधित अधिकारियों को भी सूचित किया जावेगा -

क्र.	समस्याओं का विवरण	उत्तरदायित्व
1.	• पूर्ण खाद्यान्न न मिलना अथवा उचित मूल्य दुकान का न खुलना।	सहायक/ कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी

PH

क्र.	समस्याओं का विवरण	उत्तरदायित्व
2.	● गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए निःशुल्क भोजन से पोषण समर्थन न मिलना। ● छह महीने की आयु से कम के बच्चों के लिए स्तनपान का न मिलना। ● छह माह से छह वर्ष तक की आयु के बच्चों को उपयुक्त भोजन न मिलना। ● किशोरी बालिकाओं को उपयुक्त भोजन न मिलना। ● चिन्हित कुपोषित बच्चों को अतिरिक्त भोजन न मिलना। ● शाला में स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता की सुविधा उपलब्ध न होना।	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता / विकासखण्ड महिला बाल विकास अधिकारी
3.	● मातृत्व लाभ सहायता (ऐसी समस्त योजनाएँ जो सुरक्षित मातृत्व में सहायक हैं)	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता / विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी
4.	● शालाओं के माध्यम से बच्चों (6-14 वर्ष) को पोषाहार का समर्थन एवं एक बार का दोपहर का भोजन (मिड-डे मील) न मिलना। ● आंगनबाड़ी एवं शालाओं हेतु निर्धारित रसोई में भोजन पकाने संबंधी व्यवस्था न मिलना। ● शाला में स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता की सुविधा न मिलना।	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
5.	● खाद्यान्न/भोजन का अधिकार न मिलना।	कलेक्टर
6.	● अन्त्योदय अन्न योजना एवं प्राथमिकता परिवारों का सही चिन्हांकन न होना। ● खाद्य सुरक्षा से जुड़ी हुई सूचनाओं की ग्राम स्तर पर उपलब्धता न होना।	ग्राम पंचायत
7.	● राशनकार्ड में मुखिया के रूप में महिलाओं के नाम का इन्द्राज न होना।	ग्राम पंचायत

6.3. समिति द्वारा पाई गई शिकायत अथवा समस्या को संबंधित कर्मचारी/अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही किये जाने के उपरांत परिशिष्ट-‘7’ अनुसार पालन प्रतिवेदन समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावेगा।

6.4. उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति के मासिक प्रतिवेदन की समीक्षा विकासखण्ड स्तरीय सतर्कता समितियों द्वारा की जावेगी, जिसमें दुकान स्तरीय समिति की समस्याओं के निराकरण की स्थिति पर चर्चा की जावेगी।

6.5. सदस्य सचिव द्वारा ससमय जानकारी उपयुक्त रूप से इन्द्राज किये जाने के संबंध में समीक्षा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के द्वारा की जावेगी तथा इसकी रिपोर्ट कलेक्टर (जिला शिकायत निवारण अधिकारी) को भेजी जावेगी।



- 6.6. अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन, योजनाओं में किन्हीं भी अनियमितताओं या गबन की जानकारी प्राप्त होने की सूचना सॉफ्टवेयर के माध्यम से जिला शिकायत निवारण अधिकारी को देने तथा निराकरण की समीक्षा की व्यवस्था बनाई जावेगी।

7. सतर्कता समिति हेतु प्रशिक्षण

- 7.1. समस्त विभाग यथा खाद्य, सहकारिता, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं महिला एवं बाल विकास विभाग अपने ग्राम स्तरीय कर्मचारियों को सतर्कता समिति की मॉनिटरिंग व्यवस्था एवं वैधानिक स्थितियों के संबंध में अवगत करावेंगे।
- 7.2. राज्य स्तर के स्रोत समूह द्वारा प्रत्येक जिले के लिए मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण किया जावेगा।
- 7.3. मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रथम चरण में समस्त अध्यक्ष, एक सदस्य एवं सदस्य सचिव को चरणबद्ध रूप में प्रशिक्षण दिया जावेगा।
- 7.4. कलेक्टर द्वारा निर्धारित नोडल अधिकारी के द्वारा रोटेशन में अन्य सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- 7.5. प्रशिक्षण में निम्न बिन्दुओं पर जानकारी प्रदान की जावेगी :-

- सतर्कता समितियों का गठन, उद्देश्य एवं कार्यवाही,
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013,
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश, 2015 अंतर्गत संचालित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था,
- महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी द्वारा दी जाने वाली पोषण से संबंधित दी जाने वाली सेवाओं की जानकारी,
- मध्यान्ह भोजन योजना।

8. उत्तरदायित्व एवं समय-सीमा

- 8.1. उचित मूल्य दुकान (ग्रामीण) स्तरीय सतर्कता समितियां चूंकि अंतरविभागीय स्वरूप के विषयों पर निगरानी करने हेतु अधिकृत हैं। अतः कार्य सुगमतापूर्ण एवं समय से हो सके, इस हेतु निम्न समय-सारणी का उपयोग किया जाये :-

क्र.	उत्तरदायित्व	विवरण	समय-सीमा
1	आयुक्त खाद्य	• सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का निर्माण	मार्च 2018 तक
		• सतर्कता समितियों का गठन	अप्रैल 2018 तक
		• प्रशिक्षण	जुलाई 2018 तक
		• मॉनिटरिंग	प्रत्येक माह
2	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	• ग्राम पंचायत सचिवों को निर्देश जारी करना।	15 मार्च 2018 तक
		• ग्राम पंचायत द्वारा पात्रता पर्ची की अपात्रता एवं अपात्रता चिन्हांकन के संबंध में सहयोग करना।	नियमित
		• सरपंचों को अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों से अवगत करना।	मार्च 2018 तक
		• स्वसहायता समूहों को सतर्कता समितियों के कार्यक्षेत्र के बारे में अवगत कराना।	अप्रैल 2018 तक
		• मध्यान्ह भोजन योजना के संबंध में	मई 2018 तक

PH

क्र.	उत्तरदायित्व	विवरण	समय-सीमा
		समिति के सदस्यों को अवगत कराना।	
		मध्यान्ह भोजन मॉनिटरिंग व्यवस्था को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के साथ समन्वित करना।	नियमित
3	महिला एवं बाल विकास विभाग	आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देश जारी करना।	मार्च 2018 तक
		विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों को सूचित करना एवं उत्तरदायित्व से अवगत कराना।	मार्च 2018 तक
		स्वसहायता समूहों को सतर्कता समितियों के कार्यक्षेत्र के बारे में अवगत कराना।	अप्रैल 2018 तक
		आंगनबाड़ी स्तर पर स्वच्छ पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करना।	अगस्त 2018 तक
		पूरक पोषण आहार, आंगनबाड़ी में ब्रेस्टफिडिंग प्रेक्टिस की जागरूकता के संबंध में जानकारी सदस्यों को अवगत कराना।	मई 2018 तक
		विभागीय मॉनिटरिंग व्यवस्था को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के साथ समन्वित करना।	नियमित
4	स्वास्थ्य विभाग	फिल्ड स्तरीय स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश जारी करना।	मार्च 2018 तक
		विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों को सूचित करना एवं उत्तरदायित्व से अवगत कराना।	अप्रैल 2018 तक
		सतर्कता समितियों के कार्यक्षेत्र के बारे में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अवगत कराना।	अप्रैल 2018 तक
		मातृत्व सहायता योजना, ब्रेस्टफिडिंग प्रेक्टिस की जागरूकता के संबंध में जानकारी सदस्यों को उपलब्ध कराना।	मई 2018 तक
		उपरोक्त बिन्दुओं पर विभागीय मॉनिटरिंग व्यवस्था को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के साथ समन्वित करना।	नियमित
5	स्कूल शिक्षा विभाग	पालक शिक्षक संघों को निर्देश जारी करना।	मार्च 2018 तक
		हेड शिक्षकों को सूचित करना एवं उत्तरदायित्व से अवगत कराना।	अप्रैल 2018 तक
		सतर्कता समितियों के कार्यक्षेत्र के बारे में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अवगत कराना।	अप्रैल 2018 तक
		मध्यान्ह भोजन की जानकारी से सदस्यों को अवगत कराना।	मई 2018 तक
		शाला स्तर पर किचन शेड, स्वच्छ पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करना।	अगस्त 2018 तक
		उपरोक्त बिन्दुओं पर विभागीय मॉनिटरिंग व्यवस्था को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के साथ समन्वित करना।	नियमित

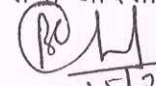
PM

क्र.	उत्तरदायित्व	विवरण	समय-सीमा
6	सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी	• सतर्कता समिति के सदस्यों की जानकारी वेबसाइट पर इन्द्राज कराना।	मई 2018 तक
		• सतर्कता समिति के सदस्यों की जानकारी वेबसाइट पर अद्यतन कराना।	नियमित
		• कंडिका 4.5 के कार्य कराना।	मई 2018 तक
		• सतर्कता समिति के गठन आदेश अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से जारी कराना।	अप्रैल 2018 तक
		• उचित मूल्य दुकान स्तरीय बैठकें नियमित हो तथा इसकी समीक्षा करना।	प्रति माह
		• समिति द्वारा उठाये गये बिन्दुओं के पालन प्रतिवेदन तथा शिकायत निवारण की समीक्षा।	प्रति माह
		• प्रशिक्षण के माध्यम से सदस्यों के मध्य जागरूकता लाना तथा कार्य में सुगमता लाने के लिए प्रयत्न।	नियमित
7	सचिव, ग्राम पंचायत	• समिति के गठन की कंडिका 2 अनुसार कार्यवाही करना।	मार्च 2018 तक
		• समिति के गठन में सदस्यों को अद्यतन किये जाने संबंधी कार्यवाही करना।	नियमित
		• समस्त चयनित एवं नामांकित सदस्यों के सूचना/प्रस्ताव ग्राम पंचायत के समक्ष रखना।	मार्च 2018 तक
		• सरपंच द्वारा नामांकित सदस्यों के नाम निर्धारित परिशिष्ट-1 में प्राप्त करना।	मार्च 2018 तक
		• गठित समिति के संबंध में समस्त दस्तावेज (यथा- ग्राम सभा अनुमोदन, सदस्यों की जानकारी, सरपंच द्वारा नामांकित प्रतिनिधियों का पत्र तथा ग्राम पंचायत का संकल्प जिसके माध्यम से ग्राम सभा तथा सरपंच के द्वारा नामांकित सदस्यों के नामांकन को सूचित किया गया है) को सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को सौंपना।	प्रत्येक माह
		• सतर्कता समिति के सदस्यों को बैठक की लिथि एवं एजेंडा की सूचना व्यक्तिगत एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से देना।	प्रत्येक माह
		• कंडिका-5 अनुसार बैठक करना।	प्रत्येक माह
		• समिति के समस्त सदस्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्यान्ह भोजन एवं आंगनबाड़ी से संबंधी जानकारी संबंधित अधिकारियों से प्राप्त कर उपलब्ध कराना।	प्रत्येक माह
		• समिति की बैठक उपरांत कार्यवाही विवरण सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को सॉफ्टवेयर में इन्द्राज कराने हेतु उपलब्ध कराना।	प्रत्येक माह

उपरोक्तानुसार प्रदेश में खाद्य सुरक्षा संबंधी निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु उचित मूल्य दुकान (ग्रामीण) स्तरीय सतर्कता समिति के गठन, नियमित बैठक एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही उपरोक्त उल्लेखित समय-सारणी अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार


15/2/2018
(बी.के. चन्देल)

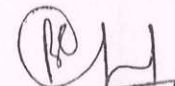
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पृ. क्रमांक: एफ 7-21/2017/29-1
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक: 15 फरवरी, 2018

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल,
5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल,
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग भोपाल,
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल,
8. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल,
9. आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश, भोपाल,
की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त अनुसार आवश्यक निर्देश सर्वसंबंधितों को जारी करने का कष्ट करें।
10. सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग, सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
11. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।


15/2/2018
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत गठित
उचित मूल्य दुकान स्तरीय खाद्य सुरक्षा सतर्कता समिति हेतु नामांकन प्रारूप

उचित मूल्य दुकान का नाम :-

उचित मूल्य दुकान का कोड :-

सदस्य	सदस्य का नाम	सदस्य का पदनाम	सदस्य का पता	सदस्य का मोबाईल नं.
नामांकित प्रथम प्रतिनिधि				
नामांकित द्वितीय प्रतिनिधि				

उपरोक्तानुसार समिति द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान ग्राम जिला..... में सतर्कता समिति गठित किये जाने हेतु मेरे द्वारा उपरोक्त प्रतिनिधियों को नामांकित किया जाता है एवं मेरे संज्ञान में उपरोक्त सदस्यगण सतर्कता समिति के सदस्य हेतु निर्धारित योग्यता का पूर्ण करते हुए गैर-आपराधिक पृष्ठभूमि से हैं।

दिनांक

हस्ताक्षर

नाम

सरपंच

ग्राम

जिला



उचित मूल्य दुकान / विकासखण्ड / जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण

उचित मूल्य दुकान (नाम) सतर्कता समिति की आयोजित बैठक दिनांक

समय.....बजे (स्थान)में निम्नानुसार सदस्य उपस्थित हुए :-

- | | |
|----|-----|
| 1. | 6. |
| 2. | 7. |
| 3. | 8. |
| 4. | 9. |
| 5. | 10. |

सतर्कता समिति के अध्यक्ष----- की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई:-

1. विगत बैठक पूर्व में सतर्कता समिति की विगत माह आयोजित बैठक दिनांक में प्राप्त शिकायत/समस्या एवं उन पर की गई कार्यवाही निम्नानुसार है :-

क्रं.	शिकायत/समस्या/सुझाव	कार्यवाही
1		
2		
3		
4		
5		

आज दिनांक को निर्धारित प्रपत्र अनुसार पर्यवेक्षण किया जाकर खाद्यान्न सुरक्षा के संबंध में निम्न बिन्दुओं पर समीक्षा की गयी :-

- I.
- II.
- III.
- IV.

1. जोड़े गये नये सदस्यों के नाम पर चर्चा:- उक्त को SMS मिलने व उनके नाम का प्रदर्शन सूचना बोर्ड पर की जाने की स्थिति।
2. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन से संबंधित बिन्दुओं पर चर्चा-



3. मध्यान भोजन के क्रियांवयन से संबंधित बिन्दुओं पर चर्चा :-

.....

.....

.....

.....

5. आंगनबाड़ी के क्रियांवयन से संबंधित बिन्दुओं पर चर्चा :-

.....

.....

.....

.....

6. उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नांकित बिन्दुओं पर भी चर्चा की गई-

.....

.....

.....

.....

उपरोक्तानुसार सतर्कता समिति की बैठक सम्पन्न की जाकर आगामी बैठक दिनांक नियत की जाती है।

PH

हस्ताक्षर

नाम

सदस्य सचिव.....

सतर्कता समिति

जिला

उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक हेतु एजेण्डा प्रारूप

1. विगत बैठक में लिये गये मुख्य निर्णय के संबंध में पालन की स्थिति
2. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियावयन के संबंध में निम्न बिंदुओं पर चर्चा की जाकर कार्यवाही की जावे -

- 2.1 नवीन पात्रता पर्चीधारी को जोड़े जाने एवं पुराने पात्रता पर्चीधारी को हटाये जाने के संबंध में संक्षेप में जानकारी दिया जाना।

कार्ड का प्रकार	नवीन जोड़े गये पात्रता पर्ची धारी	हटाये गये पात्रता पर्चीधारी	प्रचलित पात्रता पर्चीधारी
AAY			
PH			
Total			

- 2.2 पात्रता पर्चीधारी को जोड़े जाने एवं हटाये जाने के संबंध में टिप्पणी।
- 2.3 उचित मूल्य दुकान में खाद्यान्न आपूर्ति की स्थिति-खाद्यान्न के आपूर्ति किये जाने का दिनांक, सदस्यों को आपूर्ति के संबंध में SMS मिलने की स्थिति अथवा अन्य माध्यम से खाद्यान्न आपूर्ति की जानकारी मिलने की स्थिति।
- 2.4 यदि विगत तीन माह से पात्रता पर्चीधारी द्वारा अपनी पात्रतापर्ची का उपयोग नहीं किया जाता है तो संबंधित पर्चीधारियों का विवरण एवं उक्त के कारण पर चर्चा।
- 2.5 क्या किसी पात्रता पर्चीधारी को खाद्यान्न दिये जाने से विक्रेता द्वारा मना किया गया है, यदि हाँ तो कारण।
- 2.6 ऐसे व्यक्तियों के नामों पर चर्चा जो निराश्रित अथवा अत्यंत गरीब श्रेणी में आते हो परन्तु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लाभ नहीं ले पा रहे हैं।
- 2.7 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लाभ ले रहे निराश्रित/निःशक्त एवं वृद्धजन की संख्या।
- 2.8 उचित मूल्य दुकान पर दुकान का बोर्ड, सतर्कता समिति के सदस्यों की जानकारी का बोर्ड, स्टॉक बोर्ड, प्रारंभिक एवं शेष स्कंध की मात्रा, हेल्पलाइन (टोल-फ्री नंबर 181) का प्रदर्शन करवाया जाना।
- 2.9 हेल्पलाइन नम्बर के माध्यम से दर्ज की गई शिकायत की संख्या।
- 2.10 डी.जी.आर.ओ. में कम नाप, अधिक राशि लिये जाने एवं खराब गुणवत्ता के संबंध में दर्ज की गई शिकायत का विवरण।
- 2.11 उचित मूल्य दुकान के माध्यम से निर्धारित पात्रतानुसार निर्धारित दर एवं मात्रा अनुसार वितरण करवाया जाना।
- 2.12 पी.ओ.एस. मशीन की स्थिति।
3. मध्याह्न भोजन के क्रियावयन के संबंध में निम्न बिंदुओं पर चर्चा की जाकर कार्यवाही की जावे:-
 - 3.1 भोजन का केवल स्कूल को परोसा जाना।
 - 3.2 स्कूल प्रबंधन समिति मध्याह्न भोजन के संबंध में चर्चा की जावे।
 - 3.3 मध्याह्न भोजन की पर्याप्त गुणवत्ता एवं नियमितता।
 - 3.4 भोजन को ढांककर रखना।
 - 3.5 मध्याह्न भोजन कार्यक्रम अंतर्गत भोजन का सेंपल बंद डिब्बे में 24 घंटे तक सुरक्षित रखना।
 - 3.6 भोजन तैयार करने में एगमार्ग ब्राण्ड की मसाले व तेल का उपयोग करना।
 - 3.7 भोजन ग्रहण करने के पूर्व बच्चों को साबुन से हाथ धुलवाना।
 - 3.8 पीने योग्य पानी एवं बर्तन की उपलब्धता।

- 3.9 खाना बनाने हेतु यथोचित स्थान।
- 3.10 स्वच्छता के साथ भोजन का बनना।
- 3.11 मेन्यू के आधार पर भोजन का बनना।
- 3.12 स्कूल लगने के दिनों में लगातार 3 दिन तक अथवा एक मास में कम से कम 5 दिन तक मध्यान्ह भोजन उपलब्ध नहीं करवाये जाने की स्थिति।

4. आंगनबाड़ी के क्रियान्वयन के संबंध में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की जाकर कार्यवाही की जावे :-

- 4.1 आंगनबाड़ी केन्द्र का नियमित रूप से खुलना व बन्द होना।
- 4.2 गर्भवती महिलाओं, माताओं एवं बच्चों को दिये जाने वाले पोषण आहार का पात्रता अनुसार प्रदाय किया जाना।
- 4.3 सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन का मेन्यू तय होकर उसको दिवार पर चस्पा होगा।
- 4.4 मेन्यू के अनुसार भोजन बनाना व वितरित करना।
- 4.5 आंगनबाड़ी पर पीने योग्य पानी की व्यवस्था।
- 4.6 स्वच्छता से, ढक कर भोजन को रखा जाना।

5 उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं पर भी चर्चा की जावेगी :-

- 5.1 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली मध्यान्ह भोजन एवं आंगनबाड़ी हेतु योजनाओं के संबंध में बजट/अनुदान की उपलब्धता एवं अधोसंरचना पर चर्चा।
- 5.2 समिति सदस्यों द्वारा किये गये निरीक्षण पर चर्चा।
- 5.3 समिति को ग्रामवासियों से प्राप्त सुझावों पर चर्चा।
- 5.4 आगामी बैठक हेतु मुख्य एजेण्डा बिन्दु।

PH

उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति के सदस्यों द्वारा भरे जाने वाला पत्रक

1. उचित मूल्य दुकान का क्रमांक एवं नाम -----
2. स्थान -----
3. दिनांक ----- 4. समय -----
5. उचित मूल्य दुकान पर सामग्री की आवक संबंधी जानकारी -

क्रमांक	सामग्री का नाम	माह का आवंटन (ली./क्वि)	आवंटन के विरुद्ध प्राप्त मात्रा (ली./क्वि)	वितरित मात्रा	शेष
	1	2	3	4	5
1	गेहूँ				
2	चावल				
4	नमक				
5	केरोसीन				
6	अन्य				

6. सामग्री की आवक एवं उसके भौतिक सत्यापन में अंतर है ? (हां / नहीं)
7. यदि हां, तो अंतर का कारण -----
8. क्या उचित मूल्य दुकान नियमित खुलती है ? (हां / नहीं)
यदि नहीं तो कारण -----
9. दुकान में उपलब्ध खाद्यान्न (गेहूँ/चावल/नमक) की गुणवत्ता (खराब/सामान्य/उत्तम)
10. क्या उचित मूल्य दुकान से निर्धारित दर एवं मात्रा पर खाद्यान्न दिया जाता है ? (हां / नहीं)
यदि नहीं तो कारण -----
11. क्या विक्रेता द्वारा उपभोक्ताओं से उचित व्यवहार किया जाता है ? (हां / नहीं)
12. **आंगनबाड़ी**
 1. क्या आंगनबाड़ी नियमित खुलती है ? (हां / नहीं)
यदि नहीं तो कारण -----
 2. क्या आंगनबाड़ी में गर्भवती महिलाओं, माताओं एवं बच्चों को पोषण आहार पात्रता अनुसार समय पर नियमित रूप से दिया जा रहा है ? (हां / नहीं)
यदि नहीं तो कारण -----
 3. आंगनबाड़ी में दिये जा रहे पोषण आहार की गुणवत्ता (खराब/सामान्य/उत्तम)
 4. क्या आंगनबाड़ी में भोजन का मेन्यू दिवार पर चस्पा है ?
 5. क्या मेन्यू के अनुसार भोजन बनाना व वितरित किया जा रहा है ? (हां / नहीं)
 6. क्या स्वच्छ पेय योग्य पानी की व्यवस्था है ? (हां / नहीं)
 7. क्या भोजन स्वच्छता से, ढक कर रखा जाकर स्वच्छता से वितरित किया जाता है ? (हां / नहीं)
 8. क्या बच्चों द्वारा हाथ धोकर भोजन ग्रहण किया जाता है ? (हां / नहीं)
 9. क्या भोजन निर्धारित मात्रा व गुणवत्ता में ससमय प्रदाय किया जाता है ? (हां / नहीं)
 10. स्वच्छ प्रसाधान की व्यवस्था (हां / नहीं)
 11. कुपोषित बच्चों के संबंध में टीप.....
 12. आंगनबाड़ी के संबंध में अन्य टीप
13. **मध्यान्ह भोजन**
 1. क्या भोजन का केवल स्कूल में परोसा जा रहा है ? (हां / नहीं)
 2. क्या स्कूल प्रबंधन समिति से मध्यान्ह भोजन के संबंध में चर्चा की गई ? (हां / नहीं)

चर्चा उपरांत टीप

3. क्या पर्याप्त गुणवत्ता का मध्यान्ह भोजन नियमित रूप से दिया जा रहा है ? (हां / नहीं)
4. क्या पीने योग्य पानी एवं बर्तन की उपलब्धता है ? (हां / नहीं)
5. क्या खाना बनाने हेतु यथोचित स्थान है ? (हां / नहीं)
6. क्या स्वच्छता के साथ भोजन का बनाया जा रहा है ? (हां / नहीं)
7. क्या भोजन को ढांककर रखा जाकर मेन्यू के आधार पर भोजन दिया जा रहा है ? (हां / नहीं)
8. क्या योजना अंतर्गत भोजन का सैंपल बंद दिब्बे में 24 घंटे तक सुरक्षित रखा जा रहा है ? (हां / नहीं)
9. क्या एगमार्क ब्राण्ड के मसाले व तेल का उपयोग किया जा रहा है ? (हां / नहीं)
10. क्या भोजन ग्रहण करने के पूर्व बच्चे साबुन से हाथ धोते हैं ? (हां / नहीं)
11. क्या स्वच्छ प्रसाधान की व्यवस्था है ? (हां / नहीं)
12. स्कूल लगने के दिनों में लगातार 3 दिन तक अथवा एक मास में कम से कम 5 दिन तक मध्यान्ह भोजन उपलब्ध नहीं करवाये जाने की स्थिति

मध्यान्ह भोजन के संबंध में अन्य टीप

13. मौके पर उचित मूल्य दुकान से उपस्थित अध्यक्ष/प्रबंधक/विक्रेता/सहायक/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी/स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष का नाम, पदनाम एवं हस्ताक्षर

.....

14. निरीक्षण/भौतिक सत्यापन उपरांत मौके पर उपस्थित सतर्कता समिति के सदस्यों के नाम, पदनाम एवं हस्ताक्षर -

	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1			
2			
3			

(19/11)

सतर्कता समिति की विगत बैठक दिनांकके संबंध में पालन प्रतिवेदन
प्रति,

अध्यक्ष,

सतर्कता समिति,

उचित मूल्य दुकान

जिला -

उचित मूल्य दुकान (नाम) दुकान क्रमांक में
गठित सतर्कता समिति की विगत माह आयोजित बैठक दिनांक में उचित मूल्य
दुकान/ आंगनबाड़ी/मध्याह्न भोजन से संबंधी निम्न बिन्दुओं पर शिकायत/समस्या प्राप्त की
गई :-

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

उपरोक्त में आवश्यकतानुसार मेरे द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं पर निम्नानुसार कार्यवाही
की गई है :-

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

उपरोक्तानुसार सतर्कता समिति की आयोजित बैठक दिनांक हेतु माननीय
सदस्यों को विगत बैठक के संबंध में की गई कार्यवाही से अवगत कराये जाने हेतु प्रतिवेदन
अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

⑧H

हस्ताक्षर

नाम

(कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष)

विभाग का नाम

कार्यक्षेत्र (तहसील/विकासखण्ड).....

जिला

मोबाईल नं.